[राज्य सभा में 7 फरवरी, 2020 को पुर:स्थापित रूप में]

2020 का विधेयक संख्यांक 4

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधयेक, 2020

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नई धारा 18क का अंत:स्थापन।

2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में, मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पन्द्रह से अठारह वर्ष के बीच की आयु के बालक द्वारा अपराधों के लिए दंड।

''18क. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई बालक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करता है या करने का प्रयास करता है या ऐसे अपराध को करवाता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कृत्य करता है, उसे ऐसे अपराध के लिए वयस्क की तरह आरोपित किया जाएगा और वह इस अधिनियम के अधीन उपबंधित दंड का भागीदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'बालक' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु पन्द्रह से अठारह वर्ष के बीच है।''

उद्देश्यों और कारणों का कथन

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 अठारह वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध अपराधों के लिए कड़े दंड का उपबंध करता है। यह अधिनियम बारह वर्ष से कम आयु के बालक के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का उपबंध भी करता है। परन्तु इस कानून में इस बात का उल्लेख नहीं है कि अपराधी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा जब वह स्वयं अवयस्क हो। आज, बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास की दर पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है जिसके लिए जलवायु, खान-पान की आदतें और मोबाइल, टेलीविजन आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तरदायी हैं। इसलिए, किसी बालक को केवल तभी वयस्क मानना उचित नहीं है जब वह अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। आज एक पन्द्रह वर्ष का बालक भी वयस्क जैसी सोच और ज्ञान से युक्त होता है और उसमें भले या बुरे की समझ होती है। समाज में इस आयु समूह के बालकों द्वारा हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिए जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लड़कियां जो अपेक्षाकृत निष्कपट होती हैं, समान आयु समूह के पुरूष अपराधियों का आसानी से शिकार बन जाती हैं।

अत: यह उपयुक्त होगा कि पन्द्रह से अठारह वर्ष के बीच की आयु के बाल अपराधियों को भी उन्हीं धाराओं के अधीन दंडित किया जाए जिनमें अवयस्कों के साथ बलात्कार या उनके विरुद्ध लैंगिक दुर्व्यवहार जैसे अपराधों के लिए वयस्क अपराधियों के लिए दंड का उपबंध किया गया है ताकि हमारी लड़कियां घर में और बाहर सुरक्षित रह सके।

विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि पन्द्रह से अठारह वर्ष के बीच की आयु के बाल अपराधियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के दायरे में लाया जाए और उन्हें वही दंड दिया जाए जो इस अधिनियम के अधीन वयस्क अपराधियों को दिया जाता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

सरोज पाण्डेय

राज्य सभा

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का
और संशोधन करने के लिए
विधेयक

(सुश्री सरोज पाण्डेय, संसद सदस्य)

MGIPMRND—5264RS(S3)—07-02-2020.